Regarding Anganwadi workers

श्री जगदम्बिका पाल **(**डुमरियागंज**) :** सभापति महोदया, देश के लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत महिलाएं बहुत प्रमुख भूमिका में हैं । आज केंद्र में या प्रदेश में कोई भी सरकार हो, उनकी सारी योजनाओं को लागू करने का काम वे करती हैं । जैसे छह महीने से ले कर छह वर्ष की बच्चियों का ध्यान रखना, लैक्टेटिंग मदर का ध्यान रखना या पुष्टाहार योजना को महिलाओं तक पहुंचना आदि सभी कार्य आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाएं करती हैं ।

मैं दो फैसलों के बारे में कहना चाहता हूं ।? (व्यवधान) आज गुजरात हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस श्री निखिल एस. करियल ने 8164 स्पेशल सिविल एप्लीकेशंस के संबंध में जजमेंट दिया है कि देश की आंगनवाड़ी महिलाओं को राइट टू एजूकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड एक्ट के कम्प्लाएन्स और आर्टिकल 47 के तहत इनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए ।? (व्यवधान) उनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए । आज आंगनवाड़ी की महिलाएं बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का कार्यक्रम करती हैं ।? (व्यवधान) देश के दो फैसले ऐसे हुए हैं कि उन फैसलों से आज उनको केवल ढाई हजार रुपये एवं साढ़े चार हजार रुपये मिल रहे हैं ।? (व्यवधान) आज देश में केंद्र की सारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, चाहे सेन्सस हो, जनगणना हो, चुनाव का काम हो ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** धन्यवाद, माननीय सदस्य ।

? (व्यवधान)